न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया , आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 183/21(प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2021/301

अनवान्

1. श्री घासीराम पिता स्व. श्री किशोर खटीक निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर

............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री धनराज दत्तक पुत्र स्व.श्री चुन्नीलाल खटीक, निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
2. श्री रामचन्द्र पिता श्री किशोर खटीक निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
3. श्री मांगीलाल पिता श्री किशोर खटीक निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
4. श्रीमती हिरीबाई पत्नि श्री किशोर खटीक निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
5. श्रीमती बदामबाई पिता स्व.श्री किशोर पत्नि श्री गुलाबजी खटीक निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर
6. श्रीमती हमेरी पिता स्व.श्री ऊंकार पत्नि श्री मोहन जी खटीक, निवासी शिवपुरा, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर
7. श्रीमती कंकूड़ी पिता स्व.श्री ऊंकार पत्नि मिठूलाल जी खटीक, निवासी शिवपुरा, तहसील कानोड जिला उदयपुर
8. श्री भगवानलाल पिता श्री मोडीराम खटीक निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
9. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी श्री तहासीलदार जी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर

.................विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री विनोद कुमार ओस्वाल, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 4, 8
3. श्री नारायण लाल गडरी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 4, 8

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांकः—12.07.2022

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उपरोक्त उनवान का वाद प्रार्थी द्वारा आप माननीय न्यायालय में अलग से प्रस्तुत कर दिया गया है, जो सुदृढ़ आधारों पर आधारित है, जिसमें प्रार्थी को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, परन्तु निर्णय में समय लगेगा।

2. यह कि ग्राम खेरोदा, पटवार क्षेत्र खेरोदा, भू–अभि.नि.क्षेत्र – खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.) में निम्नलिखित कृषि आराजीयात ... परिशिष्ठ (क) आराजी नम्बर 4397, 4399 कुल किता 02 कुल रकबा 04 बीघा 01 ... राजस्व अभिलेख में उपरोक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा किशोर पिता ... के नाम पर अंकित होकर ... 1/2 ... के नाम विरासत से किशोर, रामचन्द्र, घासीराम, धनराज, मांगीलाल पिता किशोर 1/2 ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

दर्ज की स्वीकृती हुई। ताईद में नकल जमाबंदी पेश है। परिशिष्ठ (ख) आराजी नम्बर रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा वर्तमान राजस्व अभिलेख में उपरोक्त आराजी का 1/2 हिस्सा कि पिता उदा खटीक सा. देह के नाम पर अंकित होकर विरासत से किशोर के बजाय मुहिशिन बेवा किशोर, रामचन्द्र, घासीराम, धनराज, मांगीलाल पिता किशोर 1/2 खटिक के नाम दर्ज की स्वीकृती हुई, शेष 1/2 हिस्सा रामचन्द्र, घासीराम, धनराज, मांगीलाल पिता किशोर बीरवाल जैन सा. देह के नाम पर अंकित है। ताईद में नकल जमाबंदी पेश है। परिशिष्ठ (ग) आराजी नम्बर 3085/2 रकबा 05 बीघा 00 बिस्वा वर्तमान राजस्व अभिलेख में उपरोक्त आराजी ऊंकार पिता उदा खटीक सा. देह के नाम अंकित होकर विक्रय से आराजी नम्बर 3085/2 रकबा 05 बीघा में से आराजी नम्बर 3085/2/क रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा लगानी 0.62 रूपया मोहनी पत्नि मिठालाल खटीक सा. खेरोदा से नाम दर्ज करने की स्वीकृत हुई। विक्रय से आराजी नम्बर 3085/2 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा का 1/3 हिस्सा ऊंकार पिता उदा के बजाय रामीबाई पत्नि चुन्नीलाल 1/3 खटीक के नाम दर्ज हुआ। विरासत से ऊंकार पिता 2/3 के बजाय हमेरी, कंकूड़ी पिता ऊंकार 2/3 के नाम दर्ज हुआ। विरासत एवं गांदनामां से रामी पत्नि चुन्नीलाल 1/3 हिस्सा के बजाय धनराज मुतबन्ना चुन्नीलाल 1/3 खटिक के नाम दर्ज की स्वीकृत हुई। विक्रय से आराजी नम्बर 3085/2 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा में धनराज मुतबन्ना चुन्नीलाल 1/3 के बजाय भगवानलाल पिता मोडीराम 1/3 खटीक के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई। विक्रय से आराजी नम्बर 3085/2 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा में हमेरी, कुकूडी पिता ऊंकार 2/3 खटीक के बजाय धनराज, रामचन्द्र, मांगीलाल पिता किशोर 2/3 खटीक के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई।

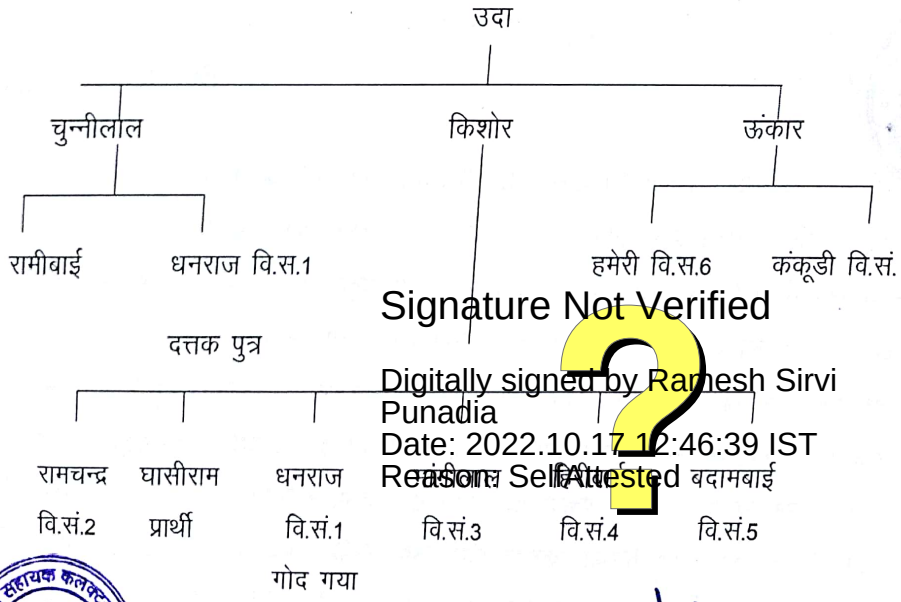

3. यह कि प्रार्थी घासीराम एवं विपक्षी संख्या 1 से 7 एक ही खानदान के है। हमारा पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

4. यह कि उदा के सबसे बडे पुत्र यानि प्रार्थी घासीराम के बडे पिताजी चुन्नीलाल के कोई भी संतान नहीं होने से चुन्नीलाल एवं उनकी पत्नि रामीबाई ने प्रार्थी घासीराम के भाई विपक्षी संख्या 1 धनराज को आज से करीब चवालीस वर्ष पूर्व जाति–रिवाज से गोद लिया तथा प्रार्थी घासीराम के पिता किशोर एवं माता हिराबाई ने जाति–रिवाज से गोद दिया तब से प्रार्थी घासीराम का भाई विमक्षी संख्या 1 धनराज प्रार्थी घासीराम के बडे पिताजी चुन्नीलाल एवं उनकी पत्नि रामीबाई का गोद पुत्र है, जिस समय प्रार्थी घासीराम के भाई विपक्षी संख्या 1 धनराज को गोद लिया एवं दिया गया, उस समय गोदनामां निष्पादित नहीं किया गया एवं इसके बाद प्रार्थी घासीराम के बडे पिताजी चुन्नीलाल एवं प्रार्थी घासीराम के पिता किशोर दोनों की मृत्यु हो गई, जिससे प्रार्थी घासीराम के बडे पिताजी चुन्नीलाल की पत्नि रामीबाई एवं प्रार्थी घासीराम की माता हिराबाई ने प्रार्थी घासीराम के भाई विपक्षी संख्या 1 धनराज को गोद लेने एवं देने का गोदनामां दिनांक 08.09.2016 को निष्पादित करा दिया एवं गोदनामें को उसी दिन पंजीबद्ध भी करा दिया। इस प्रकार प्रार्थी घासीराम का भाई विपक्षी संख्या 1 धनराज प्रार्थी घासीराम के बडे पिताजी चुन्नीलाल एवं उनकी पत्नि रामीबाई का गोद पुत्र है।

5. यह कि प्रार्थी घासीराम के पिता किशोर की मृत्यु दिनांक 20.01.1996 को हो गई एवं प्रार्थी घासीराम के भाई विमक्षी संख्या 1 धनराज के गोद चले जाने से प्रार्थी घासीराम के पिता किशोर के विधिक वारिस के रूप में उनके तीनों पुत्र प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल, पत्नि विपक्षी संख्या 4 हिरीबाई, पुत्री विमक्षी संख्या 5 बदामबाई द्वारा प्रार्थी घासीराम के पिता किशोर की कुलिया चल–अचल जायदाद में से उनका क्रमशः 1/5–1/5 हिस्सा प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या2 रामचन्द्र विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल के पक्ष में हिस्से बराबर से उत्यागित कर दिया गया, जिससे प्रार्थी घासीराम, पिता किशोर की कुलिया चल–अचल जायदाद पर उनके मरणोपरान्त प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल हिस्से बराबर से मालिक, अधिकारी, आधिपत्यधारी होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। इस प्रकार प्रार्थी घासीराम के पिता किशोर की कुलिया चल–अचल जायदाद में प्रार्थी घासीराम का, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल का 1/3 हिस्से अनुसार हक, हस्सा, अधिकार होकर आधिपत्य है।

6. यह कि प्रार्थी घासीराम के काका ऊंकार के दो पुत्रिया विपक्षी संख्या 6 हमेरी एवं विपक्षी संख्या 7 कुंकूडी हुई, जिनका विवाह प्रार्थी घासीराम के काका ऊंकार द्वारा करवा दिया गया एवं दोनों ही पुत्रिया अपने ससुराल में ही निवास करने लग गई, प्रार्थी घासीराम के काका ऊंकार के कोई भी पुत्र संतान नहीं होने से प्रार्थी घासीराम के काका की सेवा, देख–रेख, भरण–पौषण इत्यादि का कार्य प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 1 धनराज, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल चारों ने मिलकर किया एवं घासीराम के काका ऊंकार ने आपसी पारिवारिक समझौते से उनकी जायदाद में से 1/3 हिस्से की जायदाद विपक्षी संख्या 1 धनराज के हिस्से में रखी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sinvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

तथा 2/3 हिस्से की जायदाद प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र, विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल के हिस्से में हिस्से बराबर से रखी एवं सभी को इसी अनुसार अपने जीवनकाल में ही जायदाद पर काबिज कर अधिकारी बना दिया, तब से इसी हिस्से अनुसार बिना किसी बाधा के आज दिन तक निरन्तर निराबाध रूप से काबिज चले आ रहे है।

7. यह कि प्रार्थी घासीराम के काका ऊंकार ने अपने जीवनकाल में ही विपक्षी संख्या 1 धनराज की सहमति से इस प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 2 के पकरशिष्ठ (ग) में अंकित आराजी (3085/2 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा) में से विपक्षी संख्या 1 धनराज के 1/3 हिस्से को विपक्षी संख्या 1 धनराज की गोद माता रामीबाई के नाम पर बेचान के जरिये बिना कोई प्रतिफल की राशि लिये करवा दिया एवं रामीबाई के मरणोपरान्त यह 1/3 हिस्सा विरासत एवं गोदनामें से विपक्षी संख्या 1 धनराज के नाम पर दर्ज हो गया एवं इसके बाद विपक्षी संख्या 1 धनराज द्वारा यह 1/3 हिस्सा पुनः विपक्षी संख्या 8 भगवानलाल को विक्रय कर दिया गया, जिससे यह 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 8 भगवानलाल के नाम पर दर्ज है।

8. यह कि प्रार्थी घासीराम के काका ऊंकार द्वारा इस प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 2 के परिशिष्ठ (ग) में अंकित आराजी (3085/2 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा) का जो 2/3 हिस्सा प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र, विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल के हिस्से में रखा गया वह प्रार्थी घासीराम के काका ऊंकार के मरणोपरान्त विरासत से राजस्व अभिलेख में विपक्षी संख्या 6 हमेरी एवं विपक्षी संख्या 7 कंकूडी के नाम पर दर्ज हो गया एवं भूमि की कीमत बड जाने से विपक्षी संख्या 1 धनराज, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र, विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल ने मिल कर विपक्षी संख्या 6 हमेरी, विपक्षी संख्या 7 कंकूडी को अपने साथ मिलाकर प्रार्थी घासीराम को भारी नुकसान पहुँचाने की नीयत से प्रार्थी घासीराम के पीठ पीछे धोखाधडी कर षडयन्त्र रच कर राजस्व अभिलेख में अंकित अंकन के आधार पर इस 2/3 हिस्से का एक फर्जी, बनावटी, कूटरचित, अवेध एवं शून्य प्रभावी विक्रय पत्र बनाया, जिसमें विपक्षी संख्या 6 हमेरी एवं विपक्षी संख्या 7 कंकूडी को विक्रतागण बना कर विपक्षी संख्या 1 धनराज, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र, विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल क्रेतागण बन गये एवं ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में उपरोक्त 2/3 हिस्से में विपक्षी संख्या 1 धनराज, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र, विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल ने अपने नाम का अवेध एवं शून्य प्रभावी तरीके से अंकन करवा दिया, जबकि उपरोक्त 2/3 हिस्से पर कई वर्षो से निरन्तर निराबाध रूप से बिना किसी बाधा के आज दिन तक प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र, विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल हिस्से बराबर से काबिज चले आ रहे है एवं कानूनन व प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर भी इस 2/3 हिस्से के प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र, विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल हिस्से बराबर के खातेदार काश्तकार अधिकारी है।

9. यह कि प्रार्थी घासीराम के पिता किशोर के स्वामित्व की इस प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 2 के परिशिष्ठ (क) में अंकित आराजीयात में प्रार्थी घासीराम के पिता किशोर के 1/2 हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

विरासत में विपक्षी संख्या 1 धनराज के नाम का अंकन पूरि तरह से गलत रूप से दर्ज हो गया तथा प्रार्थी घासीराम की माता विपक्षी संख्या 4 हीरीबाई का नाम भी दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 धनराज ऐसे अवेध एवं शून्य प्रभवी अंकन के आधार पर उपरोक्त आराजीयात में भी प्रार्थी घासीराम के हक, हिस्से, अधिकार, आधिपत्य को लेकर प्रार्थी घासीराम को भारी चुनौती दे रहा है एवं ऐसे कृत्य में विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र एवं विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल भी विपक्षी संख्या 1 धनराज का गलत तरीके से साथ दे रहे है, जबकि उपरोक्त 1/2 हिस्से के प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र एवं विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल हिस्से के बराबर से खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है।

10. यह कि प्रार्थी घासीराम के पिता किशोर द्वारा इस प्रार्थना पत्री कलम नम्बर 2 परिशिष्ठ (ख) में अंकित आराजी का 1/2 हिस्सा उनके स्वयं के नाम से खरीद किया गया तथा 1/2 हिस्सा प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 1 धनराज, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र एवं विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल के नाम से खरीद किया गया तथा जब तक प्रार्थी घासीराम के पिता किशोर जीवित रहे, तब तक वह इस कुलिया आराजी पर काबिज होकर खेती करते रहे एवं उनके मरणोपरान्त इस कुलिया आराजी पर विरासत एवे हक त्याग से प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र एवं विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल हिस्से बराबर से काबिज होकर कांश्त करते चले आ रहे है, परन्तु उपरोक्त आराजी में प्रार्थी घासीराम, के पिता किशोर के नाम पर दर्ज 1/2 हिस्से की विरासत में भी विपक्षी संख्या 1 धनराज के नाम का अंकन पूरी तरह से गलत रूप से दर्ज हो जाने से तथा प्रार्थी घासीराम की माता विपक्षी संख्या 4 हीरीबाई का नाम भी दर्ज हो ने से एवं शेष 1/2 हिस्से में भी विपक्षी संख्या 1 धनराज का नाम गलत रूप से दर्ज होने से ऐसे अवेध एवं शून्य प्रभावी अंकन के आधार पर उपरोक्त आराजी में भी विपक्षी संख्या 1 धनराज प्रार्थी घासीराम के हक, हिस्से, अधिकार, आधिपत्य को लेकर प्रार्थी घासीराम को भारी चुनौती दे रहा है एवं ऐसे कृत्य में विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र एवं विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल भी विपक्षी संख्या 1 धनराज का गलत तरीके से साथ दे रहे है, जबकि उपरोक्त कुलिया आराजी के प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र एवं विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल हिस्से बराबर से खोतेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है। विपक्षी संख्या 1 धनराज का अपने प्राकृतिक पिता किशोर की कुलिया चल–अचल जायदाद में किसी भी प्रकार का कोई हक, हिस्सा, अधिकार, अधिपत्य, स्वत्व इत्यादि नहीं है एवं न ही कभी रहा है। विपक्षी संख्या 1 धनराज अपने गोद पिता चुन्नीलाल की जायदाद का अधिकारी है।

11. यह कि इस प्रकार इस प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 2 परिशिष्ठ (क) में अंकित आराजीयात का जो 1/2 हिस्सा प्रार्थी घासीराम के पिता किशोर के नाम से प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र एवं विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है एवं उपरोक्त 1/2 हिससे में विपक्षी संख्या 1 धनराज एवं विपक्षी संख्या 4 हिरिबाई का नाम गलत रूप से दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ठ (ख) में अंकित कुलिया आराजी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र एवं विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है एवं उपरोक्त आराजी में विपक्षी संख्या 1 धनराज एवं विपक्षी संख्या 4 हिरीबाई का नाम गलत रूप से दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ठ (ग) में अंकित आराजी (3085/2 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा) में 2/3 हिस्से के प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र एवं विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है एवं उपरोक्त 2/3 हिस्से में विपक्षी संख्या 1 धनराज का नाम गलत रूप से दर्ज है।

12. यह कि दिनांक 17.06.2020 को वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी घासीराम अपने हिस्से कब्जे की भूमि पर हकाई का कार्य करवा रहा था, उस समय विपक्षी संख्या 1 धनराज मौके पर आया एवं प्रार्थी घासीराम के हक, अधिकारों को भारी चुनौती देते हुए प्रार्थी घासीराम को एलानिया धमकी देते हुए कहा कि इस जमीन का छोड कर भाग जाना नहीं तो जान से खतम कर दुंगा, इस पर प्रार्थी घासीराम ने इसका कारण पूछा तो विपक्षी संख्या 1 धनराज ने कहा कि प्रार्थी घासीराम के हिस्से कब्जे की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षी संख्या 1 धनराज, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र एवं विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल के नाम पर दर्ज हो चुकी है, यह सुनकर प्रार्थी घासीराम पूरी तरह से घबरा गया और तुरन्त ही राजस्व रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त की तो प्रार्थी घासीराम को षडयन्त्र एवं धोखाधडी की जानकारी हुई, जिस पर प्रार्थी घासीराम ने विपक्षी संख्या 1 से 7 के समक्ष निवेदन किया कि प्रार्थी घासीराम के साथ बैवजाह ऐसा भारी अन्याय मत करो, परन्तु किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जिस पर प्रार्थी घासीराम अब तक अपने सभी रिश्तेदारों के जरिये समझाईश के प्रयास करता रहा एवं यह कौशिश करता रहा कि जायदाद को लेकर बैवजह परिवार नहीं टुटे एवं प्रार्थी घासीराम के हिस्स, कब्जे की भूमि पुनः स्नेहपूर्वक प्रार्थी घासीराम के नाम पर करवा दी जावें, परन्तु विपक्षी संख्या 1 धनराज ने विपक्षी संख्या 2 से 7 को गुमराह कर दिया, जिससे अब मजबूर होकर प्रार्थी घासीराम को अपने हक, अधिकारों की रक्षा के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश करने पर बाध्य होना पडा है। प्रार्थी घासीराम अपने हिससे की घोषणा कराने का एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

13. यह कि प्रार्थी घासीराम का प्रथम दृष्टया केस होकर सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी घासीराम के पक्ष में है, जिससे प्रार्थी घासीराम के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायहित में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थी घासीराम को भारी अशोधनीय हानि होगी, जिसका हर्जाना नगदी में किसी भी रूप में नहीं ... जा सकेगा।

14. यह कि विनाय प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण दिनांक 17.06.2020 ... पैदा हुई जब मौके पर विपक्षी संख्या 1 धनराज द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी घासीराम के हक, अधिकारों को बाहुबल के आधार पर चुनौती दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

15. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ता–फैसला मुल वाद आज ही प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

वह वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी मे हिस्से, कब्जे की भूमि में प्रार्थी के उपयोग–उपभोग एवं कब्जे में किसी भी प्रकार से कोई बाधा पैदा नहीं करें एवं किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं करें तथा जबरन शरीर के बल पर बेदखल नहीं करे।

16. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 5, 7 के खिलाफ वादीद्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही ड्रोप किये जाने का निवेदन किया अतः आदेशिका दिनांक 05.08.2020 को विपक्षी संख्या 5, 7 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप कि गई विपक्षी संख्या 1 से 4, 8 द्वारा जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार है कि

1. कि कलम नम्बर एक में वाद पेश करने का कथन स्वीकार है। शेष कथन गलत होकर अस्वीकार। प्रार्थी को वाद में किसी भी सूरत में सफल होने की कोई संभावना नहीं है।

2. कि कलम नम्बर 2 में आराजी स्थित होना, राजस्व रेकर्ड में अंकन स्वीकार है।

3. कि कलम नम्बर 3 में प्रार्थी ने सजरा अंकित किया है जिसे प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करावे।

4. कि कलम नम्बर 4 का उत्तर है कि धनराज चुन्नीलाल के गोद गये परन्तु उस समय यह तय हुआ था कि धनराज का उसके पिताजी की सम्पत्ति में हक रहेगा इसलिए विपक्षी धनराज का उसके पिता की सम्पत्ति में हक हिससा अधिकार है। इसका विस्तृत उत्तर आगे दिया जा रहा है।

5. कि कलम नम्बर 5 का उत्तर है कि किशोर का निधन हो जाने से उनके विधिक वारसिान रामचन्द्र, घासीराम, धनराज, मांगीलाल, हिरा बाई, बदाम बाई होकर सभी का बराबर बराबर हक हिस्सा अधिकार होकर राजस्व रेकर्ड में भी इसी प्रकार अंकन हुआ है। हिरी बाई एवं बदाम बाई द्वारा उनका कोई हक हिस्सा प्रार्थी घासीराम, विपक्षी रामचन्द्र, मांगीलाल के पक्ष में उत्यागित नहीं किया है जिससे किशोर की कृषि भूमि के नके विधिक वारिसान हिस्सा बराबर से स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है। प्रार्थी किशोर की कृषि भूमि में उसका 1/3 हिस्सा हक अधिकार होने का जो कथन किया है वो गलत है। विपक्षी संख्या 4 प्रार्थी एवं विपक्षी 1–2–3 की माता होकर उनकी सेवा चाकरी भरण पोषण एवं बिमारी में इलाज आदि विपक्षी संख्या 1 से 3 गत 20 वर्षों से कर रहे है। प्रार्थी घासीराम ने उसकी माता विपक्षी संख्या 5 कभी कोई सेवा नहीं की, न ही बिमारी में इलाज कराया।

6. कि कलम नम्बर 6 अक्षर अक्षर गलत होकर अ[illegible] विपक्षी 1 से 3 के काका श्री अंकार पिता उदा जी थे जिनकी सेवा चाकरी [illegible] बीमारी में इलाज आदि उनकी दोनों पुत्रीयां विपक्षी हमेरी बाई एवं विपक्षी [illegible] किया और उनकी मृत्युपरान्त उनका सारा क्रियाक्रम पिण्ड प्रदान आदि दोनों बेटीयों ने किया। [illegible]कार द्वारा आपसी समझौते से उनकी जायदाद में से 1/3 हिस्से की जायदाद प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र एवं विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल के हिस्से में हिस्से बराबर से रखने, सभी को अपने जीवनकाल में ही जायदाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पर काबीज कर अधिकारी बना दिया जाने, बिना किसी बाधा के आज दिन तक निरन्तर निराबाध काबीज होने का कथ प्रार्थी का गलत है। उंकार पिता उदा के निधन के बाद विरासत से उंकार का हिस्सा उनकी दोनों पुत्रीयां हमेरी बाई एवं कंकुडी बाई के नाम अंकित हुआ ओर हमेरी बाई, कंकूडी बाई उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधरी होने एवं उनके द्वारा भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होने से वादग्रस्त आ.नं. 3085/2 किता-1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा का 2/3 हिस्सा दिनांक 26.12.2019 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विपक्षी संख्या 1 से 3 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से उक्त भूमि के 2/3 हिस्से पर हम विपक्षी 1 से 3 का हक हिस्सा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है एवं नामान्तकरण संख्या 4499 से उक्त भूमि क्रेता विपक्षी 1 से 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित हो खातेदार है।

7. कि कलम नम्बर 7 अस्पष्ट, गलत मिथ्या बनावटी होकर अस्वीकार। उंकार ने अपने जीवनकाल में विपक्षी संख्या 1 धनराज की सहमति से परिशिष्ट ग में अंकित आ.नं. 3085/2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा में से 1/3 हिस्से को विपक्षी संख्या 1 की गोदनामा रामी बाई के नाम पर बेचान के जरिये बिना कोई प्रतिफल की राशि लिए करावाने का कथन गलत है। रामी बाई के निधन के बाद विरासत एवं गोदनामा से रामी बाई का हिस्सा मुझ विपक्षी धनराज के नाम अंकित हुआ वो भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से मुझ विपक्षी धनराज ने विपक्षी भगवानलाल को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से भगवानलाल उसके क्रय सुदा भूमि पर काबीज है।

8. कि कलीम नम्बर 8 जिस ढंग से लिखी अक्षर अक्षर गलत होकर अस्वीकार। उंकार पिता उदा की भूमि विरासत के नामान्तरकरण संख्या 3090 से उनकी जाईन्दा पुत्रीयां विपक्षी हमेरी बाई एवं कंकूडी बाई के नाम अंकित हुई ओर उंकार के हिस्से पर उंकार के निधन के बाद उनका हक हिस्सा कब्जा काश्त उपयो उपभोग होने से उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि विपक्षी 1 से 3 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से हमेरी बाई, कंकुडी बाई के हक हिस्से कब्जे की भूमि पर विपक्षी 1-2-3 क्रय की दिनांक से ही काबिज चले आ रहे है। हमेरी बाई, कंकूडी बाई द्वारा विपक्षी 1 से 3 के पक्ष में निष्पादित कराया गया विक्रय पत्र न तो फजी है, न बनावटी है, न कूटरचित है, ओर अवैध है ओर न ही शून्य प्रभावी है। उंकार पिता उदा अथवा उंकार की पुत्रीयों द्वारा जब प्रार्थी की भूमि का को[illegible] तो प्रार्थी की पीठ पीछे, धोखाधडी कर षडयंत्र रचने का कथन मिथ्या बना[illegible] होक[illegible]त है। विपक्षी 1 से 3 द्वारा क्रय की गई भूमि जरिये नामान्तकरण उनके नाम अंकित हो [illegible]दार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

9. कि कलम नम्बर 9 जिस ढंग से लिखी [illegible] अस्वीकार। किशेर के मरणोपरान्त परिशिष्ट क की भूमि का 1/2 हिस्सा प्रार्थी एवं विपक्षी 1 से 3 एवं माता हीरा बाई के नाम सही दर्ज हुआ है। धनराज किशोर का पुत्र होकर विधिक उत्तराधिकारी है। प्रार्थी घासीराम उसके हक हिस्से की भूमि पर काबीज है ओर हम विपक्षी 1-4 हमारे हक हिस्से कब्जे की भूमि पर काबीज है ओर विपक्षी धनराज प्रार्थी के हक हिस्से को कोई चुनौती नहीं दे रहे है बल्कि सत्य के साथ

Scanned by CamScanner

है। इस कलम की भूमि में वर्णित किशोर का 1/2 हिस्सा की भूमि प्रार्थी अपने नाम 1/6 हिस्से से घोषित कराने का अधिकारी नहीं है।

10. कि कलम नम्बर 10 जिस ढंग से लिखी अक्षर अक्षर गलत होकर अस्वीकार। वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वर्णित अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण का हक हिस्सा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है जिसका ज्ञान प्रार्थी एवं हर आम खास को है लेकिन प्रार्थी हम विपक्षी 1 से 4 से द्वेषता रखता है और मानवता, नैतिकता से परे रहकर ब्लेकमेल करने, बिना विधिक हस्तान्तरण दस्तावेज के माननीय न्यायालय में झूठा, मिथ्या, बनावटी घोषणा, निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। हम विपक्षीगण ,खातेदार काश्तकार को हमारे हक हिस्से कब्जे उपयोग उपभोग की भूमि पर काश्त कार्य करने खुर्द बुर्द करने से रोकने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। प्रार्थी उसके हक हिस्से खाते की भूमि पर काबीज है और हम विपक्षीगण हमारे हक हिस्से कब्जे की भूमि पर काबीज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी की मानसिकता तो ऐसी है कि विपक्षी संख्या 4 हिरी बाई जो माता है जिसकी पिछले 30 सालों में एक पल के लिए भी सेवा नहीं की और न ही उसके पास कभी आया है और न ही बात करता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.))

11. कि कलम नम्बर 11 प्रार्थी ने वाद में वर्णित मिथ्या कथनों को आधार बनाकर गलत, मिथ्या, बनावटी कथन किये है जो अक्षर गलत होकर अस्वीकार। मृतक किशोर पिता उदा के निधन के बाद विरासत से जो हक हिस्सा प्रार्थी के नाम पर अंकित हुआ है उस पर प्रार्थी आज भी काबीज है ओर उपयोग उपभोग कर रहा है। किशोर के बजाय विरासत से उनके वारिसान के नाम जो अंकन हुआ है वो सही है ओर जो भूमियां विपक्षी पक्ष ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया उसके वे खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है।

12. कि कलम नम्बर 12 गलत होकर अस्वीकार। दिनांक 17.06.2020 को प्रार्थी घासीराम द्वारा उसके हिस्से की भूमि की हकाई करने, धनराज द्वारा उसके हक व अधिकारों को चनौती देने, जमीन छोड कर भाग जाने, जान से खत्म करने आदि धमकीयां दिया जाने का कथन प्रार्थी ने मात्र दावा बनाने की नीयत से मिथ्या अंकित किये है। हम विपक्षीगण तो कोई षडयंत्रकारी नहीं है, बल्कि प्रार्थी स्वयं षडयंत्रकारी होकर धोखाधडी पूर्वक जमीन हडपना चाहता है ओर उसने माननीय न्यायालय के समक्ष जो दावा घोषणा का पेश किया है उसको लेकर प्रार्थी ने अपने दावे के समर्थन में ऐसा कोई हस्तानतरण विलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह माना जावे कि प्रार्थी कथित दस्तावेज के आधार पर घोषणा का दावा [illegible] है। बिना हाथ, पांव, बिना विधिक हस्तानतरण दस्तावेज के दावा पेश किया है जो किसी [illegible] सूरत में चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी किसी प्रकार से घोषणा, अस्थाई निषेधाज्ञा की दावे प्रा[illegible] का अधिकारी नहीं है।

13. कि कलम नम्बर 13 गलत होकर अस्वीकार। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में बिना किसी विधिक हस्तान्तरण विलेख के मोखिक कथनों को आधार बनाकर बिना कब्जा, बिना हक अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

के दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश किया जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टया केस और न ही सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ओर न ही उसे अतुलनीय क्षति होने की कोई संभावना है इसके विपरित विपक्षीगण का प्रथम दृष्टया केस होकर सुविधा सन्तुलन एवं अतुलनीय क्षति के तीनों बिन्दू हम विपक्षीगण के पक्ष में है।

14. कि कलम नम्बर 14 गलत होकर अस्वीकार। दिनांक 17.06.2020 को अथवा अन्य किसी भी दिनांक को हम विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई बिनाय वाद पैदा नहीं होती है।

1. प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में हमेरी बाई, कंकूडी बाई पुत्रीयां उंकार की कृषि भूमि को लेकर माननीय न्यायालय में घोषणा का दावा पेश किया है लेकिन वाद के समर्थन में कोई विधिक हस्तानतरण दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे प्रार्थी का दावा चलने योग्य नहीं है।

2. कि विपक्षी हमेरी बाई, कंकुडी बाई द्वारा विपक्षी 1 से 3 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा ले तब तक प्रार्थी माननीय में घोषणा, निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है।

3. कि प्रार्थी जब तक विपक्षी धनराज से जब तक विधिक हस्तानतरण दस्तावेज निष्पादित नहीं करा ले तब प्रार्थी का घोषणा, निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं है।

4. कि प्रार्थी जब तक विपक्षीगण के विरूद्ध कब्जेयाबी का वाद संस्थित कर वांछित अनुतोष प्रापत नहीं कर ले तब प्रार्थी का वाद चलने योग्य नहीं है।

5. कि हम विपक्षीगण खातेदार काश्तकार के विरूद्ध प्रार्थी बिना कब्जा, बिना हक अधिकार के निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है।

6. कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में सही तथ्यों को छिपा कर गलत, मिथ्या बनावटी तथ्यों को आधार बनाकर वर्तमान वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थी का वाद खारिज होने योग्य है।

1. हमने प्रकरण में उभयपक्ष की बहस को सूना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्या को दोहराया अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया हमने विद्वानों की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा ... ए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है

1. **प्रथम दृश्यता मामला** :– उक्त आराजीयात के कलम नम्बर 2 परिशिष्ट (क), परिशिष्ट (ख) व परिशिष्ट (ग) में अंकित आराजीयात में विपक्षी सं. 1 धनराज के गोद जाने से प्रार्थी का हिस्सा गलत रूप से दर्ज हैं विपक्षी सं. 1 धनराज के गोद जाने से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला सावित होता है। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी अपने पक्ष में सावित करने में सफल रहें । अतः प्रथम दृष्ट्या मामले का बिन्दु प्रार्थी में पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

2. **अपूरणीय क्षति** :– भूमि में विपक्षी सं. 1 के गोदजाने से प्रार्थी का हिस्सा गलत रूप से दर्ज हैं जिससे प्रार्थी का हिस्सा प्रभावित हो रहा है। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. **सुविधा संतुलन** :– प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूरणीय क्षति बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में वर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में परिशिष्ट (क) में अंकित आराजीयात का जो 1/2 हिस्सा प्रार्थी घासीराम के पिता किशोर का है, उसमें प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र एवं विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है एवं उपरोक्त 1/2 हिस्से में विपक्षी संख्या 1 धनराज एवं विपक्षी संख्या 4 हिरिबाई का नाम गलत रूप से दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ठ (ख) में अंकित कुलिया आराजी के प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र एवं विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है एवं उपरोक्त आराजी में विपक्षी संख्या 1 धनराज एवं विपक्षी संख्या 4 हिरीबाई का नाम गलत रूप से दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ठ (ग) में अंकित आराजी (3085/2 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा) में 2/3 हिस्से के प्रार्थी घासीराम, विपक्षी संख्या 2 रामचन्द्र एवं विपक्षी संख्या 3 मांगीलाल हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है एवं उपरोक्त 2/3 हिस्से में विपक्षी संख्या 1 धनराज का नाम गलत रूप से दर्ज है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर व प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थी घासीराम के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर परिशिष्ठ (क) आराजी नम्बर 4397, 4399 कुल किता 02 कुल रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा, परिशिष्ठ (ख) आराजी नम्बर 3524 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, परिशिष्ठ (ग) आराजी नम्बर 3085/2 रकबा 05 बीघा 00 बिस्वा भूमि में विपक्षी 1 से 4, 8, मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड में जमा हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
भीण्डर
(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) भीण्डर

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.))

Scanned by CamScanner